<u>राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) की दिनांक 20 नवंबर, 2020 को आयोजित तीसरी बैठक का कार्यवृत्त</u>

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) के अधीन राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) की तीसरी बैठक श्री प्रवीण कुमार, अध्यक्ष एनसीवीईटी और सचिव, एमएसडीई की अध्यक्षता में दिनांक 20 नवंबर, 2020 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-। पर है।

शुरुआत में, श्री प्रवीण कुमार, अध्यक्ष एनसीवीईटी और सचिव, एमएसडीई ने बैठक के सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। सुश्री सुनीता सांघी, कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी ने सदस्यों का स्वागत किया और बैठक की कार्यवाही की शुरुआत की।

कार्यसूची मद सं.1: एनएसक्यूसी की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

समिति ने दिनांक 22 सितंबर, 2020 को आयोजित एनएसक्यूसी की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

कार्यसूची मद सं.2: एनएसक्यूसी की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट

एनएसक्यूसी ने की गई कार्रवाई को नोट किया। अनुपालन के संबंध में, एनएसक्यूसी (एनसीवीईटी के अधीन) की दूसरी बैठक में सशर्त अनुमोदित फाइलों की स्थिति अनुबंध-॥ पर है।

जिन मामलों पर चर्चा की गई और की गई कार्रवाई रिपोर्ट में निर्णय लिए गए, वे निम्नलिखित हैं:-

कार्यसूची मद सं.3 (II) (i): ऑटोमोटिव एसएससी: एएसडीसी की दो फाइलें प्रवेश अपेक्षाओं में परिवर्तन के अध्यधीन अनुमोदित की गई थी। तथापि, दूसरी एनएसक्यूसी के बाद विद्यालयों से अनुभव की छूट का मामला उठाया गया था और उसे एनएसक्यूसी की जांच के लिए लाया गया था। एनएसक्यूसी द्वारा फोर व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन और टू व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन के विद्यालयों में चल रहे पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश मानदंडों में अनुभव से विद्यालयों की छूट से संबंधित मामले की जांच की गई थी और केवल स्कूलों में चले रहे ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए ही

छूट प्रदान की गई थी न कि अन्यथा के लिए। अध्यक्ष का यह मत था कि इन 2 अर्हताओं की प्रवेश अपेक्षा तद्नुसार बदली जाए, जिसकी सीईओ एएसडीसी द्वारा भी सहमति दी गई थी। इस पर एनएसक्यूसी द्वारा सहमति दी गई।

मद सं.4: अर्हता के लिए अपेक्षित उद्योग वैधीकरण: एनएसक्यूसी की दूसरी बैठक में किए गए विचार-विमर्श किए गए अनुसार, मामले के क्रम में, कार्यकारी सदस्य ने विशेष उल्लेख किया कि एनसीवीईटी उद्योग वैधीकरण स्थापित करने और जांच करने के लिए संस्थाओं के रूप में अपनी स्वयं की समितियां स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इसके लिए लिया गया समय फरवरी, 2021 तक था, जैसा कि कार्यकारी सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया था और एनएसक्यूसी द्वारा सहमति दी गई थी। तब तक वर्तमान मानदंडों के अनुसार उद्योग वैधीकरण प्राप्त करने की प्रणाली जारी रहेगी। तथापि, विशिष्ट मामलों में, जहां उद्योग वैधीकरण इन्हीं पैमानों पर संभव न हों, वहां प्रायोजक द्वारा लिखित में कारण दिए जाएं और एनएसक्यूसी द्वारा उनकी जांच की जाएगी।

कार्यसूची मद सं.3: एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए प्रस्तुत अर्हताएं

कार्यकारी सदस्य (एसएस) ने एनएसक्यूसी को सूचित किया कि दिनांक 16 जुलाई, 2020 से दिनांक 30 सितंबर, 2020 तक प्राप्त 94 अर्हताओं (66 नई और 28 संशोधित) पर एनएसक्यूसी में उचित प्रक्रिया और जांच का पालन करने के बाद विचार किया जा रहा था। उन्होंने एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए विचार की जा रही अर्हताओं का एक संक्षिप्त स्नैप-शॉट दिया।

एनएसक्यूसी की तीसरी बैठक में विचारित अर्हताओं के अनुमोदन की स्थिति का समेकित विवरण अनुबंध-III (क) पर रखा है; अर्हता-वार स्थिति अनुबंध-III(ख) पर है। विशिष्ट ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

I. <u>**केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत अर्हताएं**</u>

i. **डीजीटी:** डीजीटी की 19 अर्हता फाइलें एनएसक्यूसी के अनुमोदन के लिए रखी गई थीं जिनका विवरण निम्नलिखित है:

क. आयुध निर्माणी बोर्ड के लिए फ्लैक्सी एमओयू की 5 अर्हता फाइलें: फ्लैक्सी एमओयू के तहत आयुध निर्माणी बोर्ड के लिए कैपिटल गुड्स क्षेत्र में 5 अर्हताएं

एनएसक्यूसी के अनुमोदन के लिए रखी गई थी और उन्हें बिना किसी परिवर्तन के अनुमोदित किया गया।

ख. क्राफ्ट्समैन इन्स्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम की 4 अर्हताएं: सीआईटीएस (डीजीटी की इन्स्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम) के तहत 4 अर्हताएं एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदित की गईं।

ग. 10 अर्हताएं - 5 अल्पकालिक पाठ्यक्रम (एसटीसी) और 5 एप्रिंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (एटीएस): डीजीटी की एसटीसी के तहत ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए 2 अर्हता फाइलें एनएसक्यूसी के समक्ष रखी गईं और उन्हें अनुमोदित किया गया।

अपैरल क्षेत्र की 3 एसटीसी फाइलों, पर्यावरण क्षेत्र की 2 एटीएस फाइलों और टेक्सटाइल क्षेत्र की 3 एटीएस फाइलों के संबंध में एनएसक्यूसी में विचार-विमर्श किया गया। एनएसक्यूसी को सूचित किया गया कि अपैरल क्षेत्र की एसटीसी फाइलों के मामले में दोहरी अर्हताएं विद्यमान हैं। तथापि डीजीटी ने एनएसक्यूसी को सूचित किया कि उन्होंने संबंधित एसएससी से परामर्श किया है और उन्होंने कभी भी इसके लिए कोई आपत्ति नहीं उठाई है। डीजीटी की सभी आठ फाइलें एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदित की गईं।

अध्यक्ष, एनएसक्यूसी ने सुझाव दिया कि इलैक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और सेवा के लिए अर्हताएं तैयार की जानी चाहिए।

ii. **भारतीय नौसेना:** एनएसक्यूसी में भारतीय नौसेना की 3 फाइलों पर विचार-विमर्श किया गया था। एनएसक्यूसी ने ‘बेल ड्राइवर’ और ‘सरफेस सप्लाईड एअर ड्राइवर’ का एनएसक्यूएफ विद्यमान लेवल 6 से घटाकर लेवल 5 करने का सुझाव दिया। भारतीय नौसेना को संशोधित अर्हता फाइलें प्रस्तुत करनी हैं।

‘स्कुबा डाइवर’ की अर्हता बिना किसी परिवर्तन के अनुमोदित की गई।

iii. **एनएफडीसी:** एनएफडीसी के चीफ कैमरा एसिस्टेंट और डिजिटल वीडियो एडिटर नामक 2 अर्हता फाइलें एनएसक्यूसी के विचारार्थ रखी गई थी। ये दोनों फाइलें अनुमोदित की गईं।

iv. **नेशनल सेंटर ऑफ आर्गेनिक फार्मिंग, कृषि मंत्रालय:** 'आर्गेनिक फार्मिंग प्रोमोटर/मैनेजर' नामक अर्हता एनएसक्यूसी में प्रस्तुत की गई थी और उसे अनुमोदित किया गया।

v. **पर्यावरण मंत्रालय:** पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 24 संशोधित फाइलें एनएसक्यूसी के अनुमोदन के लिए रखी गई थीं। एनएसक्यूसी को सूचित किया गया कि इन 24 फाइलों में से केवल 2 फाइलों में कुछ परिवर्तन थे, जबकि शेष 22 फाइलों को बिना किसी परिवर्तन के समीक्षा तारीख को आगे बढ़ाए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया था। एनएसक्यूसी ने सभी 24 फाइलों को सितंबर, 2023 तक आगे बढ़ाए जाने का अनुमोदन किया।

vi. **एनआईईएलआईटी, एमईआईटीवाई:** कुल 4 संशोधित अर्हता फाइलें बिना किसी परिवर्तन के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गईं। एनएसक्यूसी ने सभी 4 फाइलों का अनुमोदन किया। तथापि, अध्यक्ष, एनएसक्यूसी ने कहा कि आईटी जैसे क्षेत्रों में, पाठ्यक्रमों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए।

iv. **<u>क्षेत्रीय कौशल परिषदों द्वारा प्रस्तुत अर्हताएं</u>**

क. **ऑटोमोटिव एसएससी:** एसएससी द्वारा कुल 9 संशोधित फाइलें प्रस्तुत की गईं। 8 फाइलें बिना किसी संशोधन के अनुमोदित की गईं, तथापि एक फाइल अर्थात् 'ऑटोमोटिव सीएनसी मैचिंग टेक्निशियन' प्रवेश शर्त के रूप में 12वीं कक्षा के बाद 2 वर्ष के अनुभव को जोड़ने की शर्त पर सशर्त अनुमोदित की गई थी। एसएससी ऑटोमोटिव द्वारा इस पर सहमति दी गई और परिवर्तनों के बाद पुन: प्रस्तुत की जाएगी।

ख. **कृषि क्षेत्र कौशल परिषद्:** एनएसक्यूसी को 6 अर्हता फाइलें प्रस्तुत की गईं और सभी आवश्यक लाइसेंसिंग के आधार पर अनुमोदित की गईं तथा

प्रशिक्षण के लिए एएससीआई द्वारा सभी लाइसेंसिंग एवं विनियामक अपेक्षाओं का पालन किया गया है।

ग. **इन्स्ट्रूमेंटेशन एसएससी:** प्रस्तुत की गई 4 फाइलें इस शर्त के साथ अनुमोदित की गई थी कि एसएससी उसे एनक्यूआर पर अपलोड करने से पूर्व अपने मंत्रालय की सहमति प्रस्तुत करेगा। यदि संबंधित मंत्रालय द्वारा आपत्ति उठाई जाती है तो एसएससी को अगली एनएसक्यूसी में अनुमोदन के लिए वापस आना होगा।

घ. **स्पोर्ट्स एसएससी:** स्पोर्ट्स एसएससी द्वारा प्रस्तुत 2 नई अर्हता फाइलें बिना किसी परिवर्तन के एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदित की गई थी।

ङ. **हेल्थकेयर एसएससी:** आयुष से संबंधित हेल्थकेयर एसएससी की 4 नई अर्हताएं समिति के समक्ष रखी गई थी और उन्हें अनुमोदित किया गया था।

च. **पीडब्ल्यूडी एसएससी:** पीडब्ल्यूडी क्षेत्र से एसएससी पीडब्ल्यूडी की 1 नई अर्हता समिति के समक्ष रखी गई थी और उसे अनुमोदित किया गया था। इसके अतिरिक्त, एससीपीडब्ल्यूडी द्वारा अपनाई गई कई अर्हताओं के अनुमोदन से संबंधित मामला, जो अनुमोदन के लिए बाकी हैं, सीईओ, एससीपीडब्ल्यूडी द्वारा उठाया गया था। इस संबंध में, समिति को सूचित किया गया था कि पीडब्ल्यूडी के लिए एनक्यूआर में एक पृथक सेक्शन/सेक्टर सृजित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि एससीपीडब्ल्यूडी एक क्षैतिज एसएससी होने के नाते एसएससी की अनुमोदित अर्हताएं अपनाता है और तदनुसार उन्हें अपंगताओं के प्रकार के साथ मैप करता है। समिति ने इस मामले को नोट किया और एनक्यूआर में पृथक सेक्टर (पीडब्ल्यूडी के लिए) सृजित करने की प्रक्रिया शीघ्र करने तथा अगली एनएसक्यूसी में लंबित अर्हताओं को रखने का निर्देश दिया।

कार्यसूची सं.4: वैकल्पिक ट्रेड में एप्रिंटिसशिप

क. एनएसक्यूएफ मानदंडों में छूट प्रदान कर 'वैकल्पिक ट्रेड्स पाठ्यक्रम' का फास्ट ट्रैक अनुमोदन

एनएसडीसी ने एनएपीएस कार्यक्रम के तहत वैकल्पिक ट्रेड पाठ्यक्रम को एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए क्यूपी के लिए बहुविध उद्योग से उद्योग वैधीकरण और लाइन मंत्रालय का अनुमोदन प्रदान करने से छूट के संदर्भ में विचार-विमर्श और उपयुक्त निर्णय हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद एनएसक्यूसी ने यह निर्णय लिया कि जिन मामलों में एनएसक्यूसी के अनुमोदन के लिए रखी गई एनएपीएस अर्हता पहले से ही अनुमोदित अर्हताओं का संयोजन है, उनमें प्रयोगात्मक अनुमोदन श्रेणी के तहत उद्योग वैधता और संबंधित मंत्रालय का अनुमोदन अनिवार्य नहीं होगा। तथापि, एनएपीएस के तहत नई अर्हताओं के मामले में प्रयोगात्मक अनुमोदन श्रेणी के तहत अनुमोदन प्रदान किया जाएगा और तब तक कोई वित्त पोषण नहीं किया जाएगा जब तक अर्हता एनएसक्यूएफ के अनुरूप नहीं है और सभी आवश्यक शर्तें पूरी करते हुए एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदित नहीं है। साथ ही, यदि प्रयोगात्मक रूप से अनुमोदित अर्हताओं की शुरुआत में ही इन्हें सब प्रकार से पूर्ण प्रस्तुत नहीं किया गया है तो इनको 9 माह के भीतर एनएसक्यूसी के अनुमोदन के लिए पुन: प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होगी।

ख. एप्रिंटिसशिप प्रशिक्षण के तहत वैकल्पिक ट्रेडों के लिए एप्रिंटिस होने के लिए न्यूनतम अर्हता मानदंड में अपेक्षित अनुभव की छूट

यह एप्रिंटिसशिप प्रशिक्षण के तहत वैकल्पिक ट्रेडों के लिए एप्रिंटिस होने के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंडों में अपेक्षित अनुभव की छूट प्रदान करने से छूटों के संदर्भ में विचार-विमर्श और उपयुक्त निर्णय के लिए प्रस्तुत किया गया था। डीजीटी ने सुझाव दिया कि पूर्व स्तर के प्रमाणन को अनुभव की अपेक्षा के एक भाग के रूप में शामिल किया जा सकता हे। एनएसक्यूसी का यह मत था कि एनएपीएस अर्हताओं को खुली छूट नहीं दी जा सकती। अपेक्षित अनुभव के संदर्भ

में छूट पर मामला दर मामला के आधार पर और एनएसक्यूसी बैठकों में उसके संबंध में लिए गए निर्णय के आधार पर विचार किया जाएगा।

ग. एनएपीएस फाइल का अनुमोदन

एएसडीसी के साथ फोर्ड ने व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस नामक अर्हता प्रस्तुत की - जो एप्रिंटिसशिप कार्यक्रम - ऐच्छिक ट्रेड के तहत संचालित किया जाने वाला एक एकीकृत दृष्टिकोण है।

अर्हता फाइल एनएसक्यूसी के विचार-विमर्श और उपयुक्त निर्णय के लिए तथा तर्क के लिए सिद्धांत निर्धारित करने हेतु और भविष्य में एनएपीएस के तहत फाइलों के अनुमोदन के लिए रखी गई थी।

अध्यक्ष का यह मत था कि इस अर्हता को लिंग तथा अपंग को शामिल करने के लिए अर्हता की उपयुक्तता के साथ-साथ एनएपीएस के तहत एप्रिंटिसशिप कार्यक्रम के रूप में संचालित किए जाने के लिए उपयुक्तता की जांच करने के लिए पीडब्ल्यूडी-एसएससी और डीजीटी भेजना आवश्यक है। फाइल समीक्षा के बाद अगली एनएसक्यूसी की बैठक में लाई जानी है।

भविष्य में एनएपीएस फाइल अनुमोदित करने के सिद्धांतों के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि यदि कोई अर्हता/ट्रेड किसी नामित ट्रेड के तहत मौजूद है तो उसे वैकल्पिक ट्रेड के तहत नहीं माना जाएगा। ऐसी अर्हताओं के लिए काल्पनिक अवधि भी अप्रिंटिशिप अधिनियम के अनुसार 6 माह से 3 वर्ष की रेंज की अवधि में इंगित की जाएगी।

कार्यसूची मद सं.5: प्रस्तुतकर्त्ता निकाय के लिए एनएसक्यूसी निर्णयों की वैधता

एनएसक्यूसी को सूचित किया गया था कि कई अवसरों पर ऐसा देखा गया है कि प्रस्तुतकर्त्ता निकाय एनएसक्यूसी के निर्णयों का एनसीवीईटी द्वारा बहुविध पत्रों के बाद भी अनुपालन करने में विफल रहते हैं, अत: यह प्रस्ताव किया गया था कि यदि कोई प्रस्तुतकर्त्ता निकाय एनएसक्यूसी के निर्णयों का अनुपालन करने में बार-बार विफल रहता है तो एनएसक्यूसी द्वारा दिया गया अनुमोदन वापस ले लिया जाए।

एनएसक्यूसी का मत था कि इस कार्य-सूची मद के पृथक अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एनएसक्यूसी जहां भी और जब भी आवश्यकता महसूस करे अपने निर्णय में परिवर्तन करने के लिए सक्षम है।

कार्यसूची मद सं.06: लाइन मंत्रालय की सहमति

एनएसक्यूसी को सूचित किया गया था कि एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए अर्हताओं पर विचार करते समय लाइन मंत्रालय की सहमति अनिवार्य मानदंड है क्योंकि वह अर्हता की वैधता, उपयुक्तता और आवश्यकता सिद्ध करता है।

तथापि, यह नोट किया जाता है कि लाइन मंत्रालय अवार्ड करने वाले निकाय द्वारा नियमित रूप से अनुवर्ती कार्यवाही किए जाने के बावजूद मांग करने वाले अवार्डिंग निकाय को अपनी सहमति देने में सक्षम नहीं होते हैं। इसके परिणामस्वरूप अर्हताओं के एनएसक्यूएफ संरेखण की प्रक्रिया में विलंब होता है कयोंकि उनका अनुपालन अपूर्ण रहता है।

एनएसक्यूसी का मत था कि स्वास्थ्य अथवा विमानन जैसे विनियमित क्षेत्रों के मामलों में लाइन मंत्रालय की सहमति अनिवार्य मानदंड रहेगा। अन्य सभी मामलों में लाइन मंत्रालय को उनकी सहमति दर्शाने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाएगा बशर्ते कि लाइन मंत्रालय द्वारा अन्यथा सूचित न किया जाए।

अतिरिक्त कार्यसूची:

1. **स्वास्थ्य एसएससी:**
   स्वास्थ्य एसएससी की 6 संशोधित अर्हता फाइलें, जिनकी जांच की जा रही है, एनएसक्यूसी के समक्ष रखी गई थी। एनएसक्यूसी को सूचित किया गया था कि यद्यपि एसएससी ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की टिप्पणियों का अनुपालन किया है, तथापि टिप्पणियों के संदर्भ में पूर्ण अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है क्योंकि एसएससी इस बात पर जोर देता रहा है कि उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सुझावों का अनुपालन किया है और पूर्व एनएसक्यूसी में लिए गए निर्णय के अनुसरण में कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की टिप्पणियों का पूर्ण रूप से

अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है, अत: यह मामला निर्णय के लिए एनएसक्यूसी के समक्ष रखा गया था। एनएसक्यूसी ने निर्देश दिया कि यह जांच की जाए कि क्या अनुपालन कर दिया गया है और यदि नहीं तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की टिप्पणियां प्राप्त की जाएं।

2. 14 डीजीटी फाइल्स

डीजीटी की 14 फाइलें एनएसक्यूसी के अनुमोदन के लिए रखी गई थी। एनएसक्यूसी को यह सूचित किया गया था कि इन फाइलों की डेस्क जांच कर दी गई है, तथापि, हितधारक परामर्श अभी लंबित है, अध्यक्ष, एनएसक्यूसी ने इन 14 फाइलों को सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान किया है, बशर्ते कि वे एनसीवीईटी में अगली जांच में साफ निकलें। इन अर्हताओं के ब्यौरे अनुबंध-III(ग) पर हैं।